# समाहरणालय, बक्सर (राजस्व शाखा)

## आम इश्तेहार

एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 के लिए बक्सर जिलान्तर्गत निम्नलिखित सैरातों की बन्दोबस्ती जिसकी अवधि 01 अप्रैल, 2018 से आरम्भ होगी उनके नाम के सामने अंकित सुरक्षित जमा राशि एवं बन्दोबस्ती राशि पर दिनांक 27.03.2018 को 01:00 बजे अपराहन् मे समाहर्त्ता, बक्सर के कार्यालय कक्ष में की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को बन्दोबस्ती की कार्रवाई पूरी नहीं होने पर अगली अनुवर्त्ती तिथि दिनांक 06.03.2018, 13.03.2018, 20.03.2018, 27.03.2018 एवं 31.03.2018 को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत जमानत की राशि जिला नजारत में जमा कर डाक बोली में भाग ले सकते है।

| क्र0 | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा राशि | सुरक्षित जमा का 25 प्रतिशत जमानत की राशि |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | नैनीजोर नावघाट, ब्रह्मपुर | 2,12,866.00 | 53,217.00 |
| 2 | प्रतापपुर घाट समूह, सिमरी | 1,51,916.00 | 37,979.00 |

बन्दोबस्ती की शर्ते निम्नलिखित है :–

(1) उपरोक्त सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष 2018–19 के लिए की जायेगी।

(2) बन्दोबस्ती सक्षम पदाधिकारी के मंजूरी से की जायेगी।

(3) जमानत की राशि डाक बोली से पूर्व जिला नजारत, बक्सर में जमा कर नाजीर रसीद डाक के समय प्रस्तुत करना होगा।

(4) नियमानुसार बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की राशि एक मुश्त में बन्दोबस्ती समाप्त होने के तुरंत बाद जमा करना होगा, ऐसा नहीं करने पर जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।

(5) डाकवक्ता को सरकारी नियमानुसार उच्चतम डाकबोली की राशि पर देय स्टाम्प शुल्क निबंधन शुल्क की राशि बन्दोबस्ती की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् जमा करना होगा।

(6) जिस ठीकेदार या डाकवक्ता के पास किसी प्रकार की सरकारी बकाया होगा वे डाकबोली में भाग नहीं ले सकते है।

(7) डाकवक्ता को अनुमण्डल पदाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण – पत्र देना होगा। ये शर्ते नाव यातायात समिति पर भी लागू होगा। जहॉ तक राजकीय अधिनियम अन्यथा स्पष्ट रूप से विरोध न हों।

(8) नाव घाट के बन्दोबस्तधारी को बंगाल फेरी मैनुअल के अन्तर्गत बने नियमों को सख्ती से पालन करना होगा।

(9) नाव घाट के बन्दोबस्तधारी को दण्डाधिकारी के आदेशानुसार घाट के किनारे समुचित विश्राम गृह या मुसाफिर खाना का व्यवस्था अच्छी हालत में करना होगा। यात्रियों तथा माल / पशुओं के यातायात के लिए घाट नावीं पर स्थान की समुचित व्यवस्था करेंगे।

(10) बन्दोबस्तधारी को दण्डाधिकारी के समाधान के अनुरूप घाट के दोनों तरफ तिरती जैटिया की व्यवस्था करेंगे और उन्हे खिसकाते रहेंगे।

(11) ठीकेदार को घाट का समुचित संचालन करने हेतु पर्याप्त मात्रा में बडी नावे आच्छी हालत में तथा उन नावों पर अनुभवी नाविको की व्यवस्था करना होगा तथा घाट पर सूचना पट्ट रखना होगा जिसमें नावों की संख्या, घाटवाही का दर अंकित होगा जो समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(12) नियमानुसार समितियों को बन्दोबस्ती में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए निबंधित समितियों को सहकारिता विभाग से अनुशंसा एवं बकाया रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(13) भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी नाव दुर्घटनाओं से बचाव के सभी उपायों का अक्षरशः पालन कराना बन्दोबस्तधारी के लिए नितान्त आवश्यक होगा।

(14) किसी पर्व- त्योहार या बाढ़ के समय यात्रियो तथा माल आदि ढोने के लिए जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार बन्दोबस्तधारी को अतिरिक्त पावर बार्ज तथा नावों की व्यवस्था करनी होगी।

(15) ठीकेदार को घाटवाही उगाही का दर एवं आने तथा जाने का समय सूचना पट्ट पर अंकित करना होगा। साथ ही हर नाव में कितने नाविक बहाल होगें एवं हर नाव हर नाव पर प्राधिकृत से अधिक से अधिक कितने यात्री एवं पशु तथा कितने वजन के माल ढोये जा सकेंगें का पूर्ण व्योरा अंकित करना होगा।

(16) अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि डाक मंजूरी करने से पहले डाक बोलने वाले की माली हालत एवं हैसियत का पता लगा लें।

(17) वर्षा एवं बाढ़ अथवा सुखाड़ के कारण घाट तक आने के लिए ठीकेदार को उचित प्रबंध करना होगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का छूट देय नहीं होगा।

(18) डाक/बन्दोबस्ती की कार्रवाई बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार समाहर्त्ता के पास सुरक्षित रहेंगा।

ह0/

समाहर्त्ता, बक्सर

ज्ञापांक 03-0333 /रा0, दिनांक 10-02-2018 ।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमरॉव / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर / आरक्षी अधीक्षक, बक्सर / आरक्षी उपाधीक्षक, बक्सर एवं डुमरॉव / सभी अंचलाधिकारी, बक्सर जिला / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला / जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर / डुमरॉव / थाना प्रभारी, नगर थाना, बक्सर / सिमरी / ब्रह्मपुर / नैनीजोर / सचिव, बार एसोसिएशन, बक्सर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार – प्रसार हेतु प्रेषित। उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार अपने अस्तर से कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप : अध्यक्ष, जिला परिषद, बक्सर / अध्यक्ष, नगर परिषद, बक्सर / डुमरॉव / सभी प्रखण्ड प्रमुख, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार – प्रसार अपने स्तर से सभी पंचायतों में कराने का कष्ट करेंगे।

एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपकावें।

10/02/18

समाहर्त्ता, बक्सर